कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

हरिराम ....बनाम .... केदार माली ....

किस्म मुकदमा .... 223RTA .... मु. नं. .... 04 .... वर्ष .... 2021 ....

	आज्ञा पत्र	
19-1-21	अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण में कैवियट प्राप्त होने पर कैवियटकर्ता अधिवक्ता श्री सागरमल धायल को स्थगन बहस हेतु अपील मेमो की पुस्त पर नोटेड करवाया गया। पत्रावली में अपीलांट एवं कैवियटकर्ता को स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन आवेदन दिनांक 21.01.2021 को पेश हो। [signature]	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
21-1-21	पत्रावली वास्ते आदेश पेश। वर वक्त आदेश वकील कैवियटकर्ता श्री सागरमल धायल ने उपस्थित होकर निवेदन किया है कि अपील अपीलांट इसी स्तर पर स्वीकार कर विचारण न्यायालय को एक माह में निस्तारण के निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दी जावें। इसमें वकील कैवियटकर्ता सहमती प्रदान करते है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा जारी विचाराधीन प्राथमिक डिक्री विभाजन के वाद में जारी की गई है। अपीलांट की आपत्ति है कि उन्हे विचारण न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। वकील कैवियटकर्ता की सहमती बाबत आदेशिका पर सहमती के हस्ताक्षर करवाये गये। फलस्वरूप अपील अपीलांट इसी स्तर पर स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर एक माह में निर्णय पारित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.01.2021 को उपस्थिति देवें। अहलमद निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हों। [signature] (राजवीर सिंह चौधरी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर	श्रीमानजी, अपील स्वीकार [illegible] रिमाण्ड करने में आपत्ति नहीं [signature] वकील रेस्पो. सं. 1, 2